प्रेस नोट

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 10.04.2026

साइबर क्राइम पुलिस थाना सोनभद्र की बड़ी कार्यवाही — शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान तथा अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अनिल कुमार के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी साइबर के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना, सोनभद्र द्वारा एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई है। प्रकरण के अनुसार आवेदक श्री युगल किशोर तिवारी पुत्र स्व० कैलाश तिवारी निवासी बीना, एनसीएल, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र के साथ दिनांक 13.01.2025 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा SHAREKHAN EDGE नामक शेयर ट्रेडिंग ऐप का लिंक भेजकर उसे डाउनलोड कराया गया तथा शेयर ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल ₹2,27,02,616/- की ठगी की गई। इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस थाना सोनभद्र पर मु0अ0सं0 04/2025 धारा 66D IT Act पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 318(4), 316(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि ठगी की धनराशि द्वितीय लेयर में एक्सिस बैंक खाता संख्या 924020024674208 (IFSC – UTIB0003007) के खाताधारक प्रदीप सिंह पुत्र रामानन्द सिंह निवासी कुशवाहा स्टोर, नखास चौक, थाना कोतवाली, जनपद गोरखपुर के खाते में स्थानांतरित की गई। आगे की जांच में यह भी प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा बैंक रोड, गोरखपुर स्थित विंध्यवासिनी कॉलोनी में एक कार्यालय संचालित किया जा रहा था, जहां से शेयर ट्रेडिंग ग्रुप चलाया जाता था। संदेह से बचने के लिए वहां "सोलर फ्रेंचाइजी" का बोर्ड लगाया गया था तथा लगभग 10 युवकों को इस कार्य में लगाया गया था।

अभियुक्त द्वारा अन्य व्यक्तियों 01- शत्रुध्न सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह निवासी जंगल कौड़िया, थाना पीपीगंज, जनपद गोरखपुर 02- कृष्ण मोहन सिंह पुत्र जंगबहादुर सिंह निवासी कुसहरा, थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर
03- विजय बहादुर सिंह पुत्र स्व० प्रभूनाथ सिंह 04- मानबहादुर सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह निवासी रमवापुर, थाना पीपीगंज, जनपद गोरखपुर 05- धनन्जय मल पुत्र जंगबहादुर मल निवासी पादरी बाजार, थाना शाहपुर, जनपद गोरखपुर के साथ भी शेयर ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी की गई। इस संबंध में थाना कोतवाली, जनपद गोरखपुर पर मु0अ0सं0 295/2025 धारा 316(2), 336(3) बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तारी का विवरण –साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद सोनभद्र द्वारा पर दिनांक 09.04.2026 को समय 22:50 बजे अभियुक्त प्रदीप सिंह को एम्स गोरखपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

प्रदीप सिंह पुत्र रामानन्द सिंह निवासी कुशवाहा स्टोर नखास चौक, थाना कोतवाली, जनपद गोरखपुर, उम्र लगभग 44 वर्ष।

आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 04/2025 धारा 318(4), 316(2) बीएनएस व 66D IT Act, साइबर थाना सोनभद्र
मु0अ0सं0 295/2025 धारा 316(2), 336(3) बीएनएस, थाना कोतवाली गोरखपुर

बरामदगी –

02 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम –

01- निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार चौधरी, साइबर क्राइम थाना सोनभद्र।
02- हे0का0 शिवनन्दन सिंह साइबर क्राइम थाना सोनभद्र।
03- हे0का0 संजय वर्मा साइबर क्राइम थाना सोनभद्र।
04- का0 अखिलेश यादव साइबर क्राइम थाना सोनभद्र।
05- का0 जयप्रकाश, एसओजी टीम जनपद सोनभद्र।